संख्या-3/2015/82/इक्कीस-उर्दू-2-2015(48/2011)

प्रेषक,

शाहिद अली,
अनु सचिव (भाषा)
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकारी,
उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

भाषा (उर्दू) अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 09 अक्टूबर, 2015**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2015-16 में वैकल्पिक उर्दू प्रवीणता परीक्षा के आयोजन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-गोप0/उर्दू वै0/12075/2015-16, दिनांक 01 अक्टूबर,2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें वर्ष 2015-16 हेतु उर्दू प्रवीणता परीक्षा के आयोजन के संबंध में आप द्वारा दिनांक 28, 29 एंव 30 दिसम्बर, 2015 का प्रस्ताव किया गया है।

इस संबंध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावित तिथियों के अनुसार परीक्षा के आयोजन से संबंधित समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराते हुए समस्त शासकीय कार्यालयों एंव संस्थाओं को तत्काल आवेदन पत्र की प्रतियां प्रेषित कर दी जाएं, तथा परीक्षा से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति एंव आवेदन पत्र एक सप्ताह के अन्दर शासन को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(शाहिद अली)
अनु सचिव (भाषा)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।